




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

विरुद्ध नाम कोडरी वगैरह बनाम शिव कोडरी वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
19-01-18	<p>अगिलेख सं०-एम...175/2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी <u>सोनाघातु</u> के अप्राथमिकी सं०-17/17 दिनांक-13/12/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>रास्ता की लोक उभय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>19/01/18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p><u>अगिलेख उपस्थापित उभय पक्ष क्रमांक 01, 02, 03, 04, 05 उपस्थापित अन्य उपस्थापित द्वितीय पक्ष उपस्थापित 1 दिनांक 12-02-18 को रखे 1</u></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  19/1/18 </div>	

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
20-07-18	<p>अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दिनांक ०१ उपस्थित अन्य सभी अधिवक्ता हाजरी । उभय पत्र लवाब दाखिल की दिनांक 30-7-18 को रखे ।</p> <p style="text-align: right;">१ 30/7/18</p>
30-07-18	<p>अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र अधिवक्ता हाजरी दिनांक ०१ उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी । उभय पत्र लवाब दाखिल की दिनांक 13-08-18 को रखे ।</p> <p style="text-align: right;">१ 30/7/18</p>
13-08-18	<p>अभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र क्रमांक ०२ उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी दिनांक ०१ उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी । उक्त वाद</p>

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो
चुकी है अर्थात् वाद कालवाप्त हो
गया है अतः वाद में अभिलेख की
कारवाही बन्द की जाती है।

17/8/18

कोठी
कोठी
कोठी
कोठी
कोठी